


17.03.20

पत्रावली पेश। थुंकि मूल दावा जरिये अहम राजिरी  
अहम सेवी मे खारिज किया जा चुका है अतः  
जार्जन -पग चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं  
है इसलिए जार्जन -पग को भी इसी तरह पर  
खारिज किया जाता है

पत्रावली फ्रैमल शुमार चेकर नंबर से कम की  
मात्र दाखिल दफ्तर है।

  
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रैक) साधार (जालोर)

